क्रमांक 4/17/89–1चौ0–I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सभी प्रशासकीय सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ।
सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुडगांव मण्डल।
सभी मुख्य प्रशासक/सभी प्रबन्ध निदेशक, बोर्डस व कॉपरेशन/सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी नागरिक।
सभी रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय।

दिनांकः– 25th April, 2022.

विषयः– रिश्वतखोर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर घात लगाने की नीति।

महोदय/महोदया

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी हिदायतों क्रमांक 1244–1चौ(1)–72/9512, दिनांक 13.04.1972; 4/17/89–1चौ0(1), दिनांक 24.01.1990 तथा 4/17/89–1चौ0(1), दिनांक 07.07.2014 की ओर आर्कषित करना चाहूँगा कि भारत सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 में संशोधन कर उसमें धारा 17–ए जोड़ी है जिसके अनुसार किसी जनसेवक को अनावश्यक लाभ स्वीकार करने अथवा स्वीकार करने का प्रयास करने पर मौके पर गिरफ्तार करने हेतु सरकार/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस संशोधन उपरांत राज्य सरकार ने उक्त प्रावधान को समावेशित करते हुए इस विषय में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (Standing Operating Procedure) अपने प्रपत्र क्रमांक 4/2/2021–1चौ0–II, दिनांक 07.01.2022 पहले ही जारी कर दी है।

चूंकि इस नई व्यवस्था के उपरांत मौके पर गिरफ्तारी करने हेतु सरकार/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है अतःएव उपरोक्त तीनों हिदायतों को निरस्त समझा जाए। इसके अतिरिक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट/छाया गवाह की लिखित नियुक्ति घात के लिए जिलाधीश द्वारा की जायेगी। डयूटी मैजिस्ट्रेट/छाया गवाह के संदर्भ में पूर्व निर्देश दिनांक 15.10.2008 लागू रहेंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि रिश्वतखोर/सरकारी कर्मचारियों पर घात लगाने के मामलों में डयूटी मैजिस्ट्रेट एवंम छाया गवाह नियुक्त करवाने की आवश्यकता पूर्व की भांति जारी रहेगी क्योंकि यह एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है तथा यह किसी भी प्रकार से सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति नहीं है।

भवदीय

अवर सचिव, चौकसी,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 4/17/89–1चौ0–I दिनांकः– 25th April, 2022 325/4

एक प्रति महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

अवर सचिव, चौकसी,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग।